फा. सं. एनसीएसटी-14013(डीएल)/1/2021-आर.यू.-1(एसएसडब्ल्यू)
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत का संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय)

छठी मंजिल, 'बी' विंग लोकनायक भवन,
खान मार्किट नई दिल्ली –110003
दिनांक: 17.09.2021

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
डीएमआरसी, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं. 23418310
(ईमेल आईडी: mdmetro@dmrc.org)

विषय: डीएमआरसी के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न करने के संबंध में –श्रीमती गीता मीना, रिकॉर्ड कीपर, डीएमआरसी, नजफगढ़ डिपो का दिनांक 07.01.2021 का अभ्यावेदन।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07.09.2021 को समय 03:30 बजे आयोग के माननीय सदस्य, श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त संलग्न करने का निदेश हुआ है(प्रतिसंलग्न)।

अत: आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य द्वारा की गई संस्तुतियों पर डीएमआरसी प्रशासन द्वारा की गई तथा की जाने वाली कार्रवाई की सूचना निर्धारित समय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय
17/9/2
(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक
दूरभाष सं.: 24615012
(ईमेल आईडी: director@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि:

श्रीमती गीता मीना,
मकान नं. 104, नियर साई मंदिर,
मेट्रो विहार, नजफगढ़, दिल्ली-110043
मो.नं.-9971764988
(ईमेल आईडी: meenageeta782@gmail.com)

सूचनार्थ:

1. माननीय सदस्य के निजी सचिव।
2. एनआईसी, एनसीएसटी (कृपया सिटिंग के कार्यवृत्त को वेबसाइट पर डालें)

फाईल संख्या NCST-14013(DL)/1/2021-RU-I
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य, श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2021 समय 03:30 बजे द्वारा श्रीमती गीता मीना, (रिकॉर्ड कीपर, डी.एम.आर.सी) का डी.एम.आर.सी प्रशासन द्वारा भेद भाव एवं प्रताडित किए जाने के प्रकरण में आयोजित सिंटिग का कार्यवृत ।

बैठक मे प्रतिभागियों की सूची संलग्नक पर है।

श्रीमती गीता मीना (रिकॉर्ड कीपर, डी.एम.आर.सी) ने अभ्यावेदन दिनांक 07.01.2021 द्वारा अवगत कराया कि डी.एम.आर.सी प्रशासन द्वारा भेद–भाव एवं प्रताडित किया जाता है। ऑन डयूटी जबरदस्ती मेडिकल के लिए भेजा गया और छुट्टिया एवं सैलेरी काटी गई तथा प्रमोशन नहीं किया गया।

आयोग ने प्रकरण में डी.एम.आर.सी से तथ्य तथा आख्या प्राप्त किए जिसे श्रीमती गीता मीना को सूचनार्थ भेजा। श्रीमती गीता मीना ने डी.एम.आर.सी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों से असहमति प्रकट की तथा आयोग से निवेदन किया कि काटी गई छुट्टिया एवं सैलेरी तथा पदोन्नति दिलवाने हेतु न्याय करने का कष्ट करें। प्रकरण में चर्चा हेतु, आयोग ने दिनांक 07.09.2021 को प्रबंध निदेशक, डी.एम.आर.सी तथा आवेदक के साथ सिंटिग आयोजित की।

सिंटिग में श्रीमती गीता मीना ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 07.01.2021 में उठाए गए मुददों को पुनः दोहराया तथा काटी गई सैलेरी एवं छुट्टिया तथा प्रमोशन दिलाने को कहा।

प्रबंध निदेशक, डी.एम.आर.सी ने संक्षिप्त में श्रीमती गीता मीना के प्रकरण में डी.एम.आर.सी प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्रदान की और बताया कि श्रीमती गीता मीना के प्रमोशन के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। काटी गई छुट्टिया एवं सैलेरी के मामलों में, पुनः जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

माननीय सदस्य ने संस्तुति की श्रीमती गीता मीना आवेदिका की काटी गई छुट्टिया तथा सैलेरी को वापिस दिलाने हेतु कार्रवाई करें जिससे उसका कार्य करने में उत्साह तथा डी.एम.आर.सी प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे। श्रीमती गीता मीना के प्रमोशन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई करें। प्रकरण में की गई/की जाने वाली कार्रवाई की सूचना से,आयोग को सिंटिग के कार्यवृत्त मिलने के 30 दिन के अंदर प्रेषित करें।

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य, श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2021 समय 03:30 बजे द्वारा श्रीमती गीता मीना, (रिकॉर्ड कीपर, डी.एम.आर.सी) का डी.एम.आर.सी प्रशासन द्वारा भेद भाव एवं प्रताडित किए जाने के प्रकरण में आयोजित सिंटिग के प्रतिभागियों की सूचीं।</u>

I.	<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग</u>
1	डॉ ललित लट्टा, निदेशक
2	श्री आर.एस.मिश्र, वरिष्ठ अन्वेषक
3	श्री एच. झा, (सलाहकार विधिक)
4	श्री ए. शर्मा, (सलाहकार विधिक)
II.	<u>डी.एम.आर.सी</u>
	श्री मंगू सिंह, प्रबंध निदेशक
III.	आवेदक
	श्रीमती गीता मीना